न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 02/2022 अर्न्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

स्टेट जरिये बाबूलाल जानू प्रवर्तन अधिकारी, नोहर।

——प्रार्थी

बनाम

अरविन्द पुत्र श्री सरजीत निवासी ढाणी लाल खां, ग्राम पंचायत देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थी

उपस्थितः—1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि.।
2. अप्रार्थी गैरहाजिर।।

निर्णय दिनांकः—12.06.2024

राजस्थान राज्य जरिये बाबूलाल जानू प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.2022 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ मय प्रवर्तन अधिकारी, नोहर व कार्यालय स्टाफ ग्राम पंचायत देईदास तहसील नोहर स्थित चेतराम (दुकान मालिक) की दुकान में पेट्रोल व डीजल का अवैध भण्डारण एवं बेचान की सूचना पर उपस्थित हुए। मौके पर उपस्थित अरविन्द पुत्र सरजीत (कार्यकर्ता) की उपस्थिति में दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दुकान में 205 लीटर डीजल मय 2 प्लास्टिक ड्रम, 4 प्लास्टिक कैनी, 5 लीटर पेट्रोल, मय टोंटी लगी 1 प्लास्टिक कैनी, 5 लोहे के विभिन्न माप के नाप, 1 लोहे की कीप, 1 प्लास्टिक कीप और 1 हस्तचलित पम्प मिला। मौके पर पाया गया सामान दुकान में पेट्रोल—डीजल के विक्रय, कारोबार का होना स्पष्ट करता है। मौके पर अरविन्द द्वारा उनके पास पेट्रोल—डीजल विक्रय, कारोबार करने हेतु वैध दस्तावेज, लाइसेंस, परमिट आदि नहीं होना बताया। मौके पर जब्तशुदा सामान के सम्बन्ध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 205 लीटर डीजल मय 2 प्लास्टिक ड्रम, 4 प्लास्टिक कैनी, 5 लीटर पेट्रोल, मय टोंटी लगी 1 प्लास्टिक कैनी, 5 लोहे के विभिन्न माप के नाप, 1 लोहे की कीप, 1 प्लास्टिक कीप और 1 हस्तचलित पम्प को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री हरदत पुत्र श्री उदाराम उम्र 39 वर्ष जाति जाट हाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत देईदास तहसील नोहर की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार अरविन्द पुत्र सरजीत द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लघंन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए प्रस्तुत कर उक्त 205 लीटर डीजल मय 2 प्लास्टिक ड्रम, 4 प्लास्टिक कैनी, 5 लीटर पेट्रोल, मय टोंटी लगी प्लास्टिक कैनी, 5 लोहे के 1 विभिन्न माप, 1 लोहे की कीप, 1 प्लास्टिक कीप और 1 हस्तचलित पम्प को राजसात करने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 23.03.2022 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 23.03.2022 को नोटिस जारी होने के बाद विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुआ। दिनांक 21.04.2024 को प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इसके बाद लगातार अप्रार्थी के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज की गयी।

अप्रार्थी द्वारा दिनांक 21.04.2024 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि यह बात सही है कि डीजल–पेट्रोल दुकान पर था। हमारे पास पिछले वर्ष 2021–22 में शराब की दुकान थी तो हमारे पास दुकान पर दो बोलेरो कैम्पर थे। एक मोटरसाईकिल था और डीजल गाड़ीयो के लिए था व पेट्रोल मोटरसाईकिल के लिए था और ना ही डीजल बेचना साबित हुआ है। हमारे पास एक ट्रेक्टर व पास में धर्मकांटा है वहां पर ट्रेक्टर चलता है। हम डीजल पेट्रोल बेचने का धन्धा नहीं करते है। अतः कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से डीजल एवं पेट्रोल का भण्डारण कर दुकान में बिक्री का कार्य करते पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा डीजल एवं पेट्रोल को ड्रम व टोंटी लगी प्लास्टिक कैनी, 5 लोहे के 1 विभिन्न माप के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल–पेट्रोल रखना व विक्रय करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल एवं पेट्रोल मय प्लास्टिक के ड्रम, कैनी व लोहे के विभिन्न नाप आदि को राज्य पक्ष में राजसात किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.04.2024 में स्वीकार किया कि डीजल–पेट्रोल दुकान पर था। हमारे पास दुकान पर दो बोलेरो कैम्पर थे। डीजल गाड़ीयों के लिए व पेट्रोल मोटरसाईकिल के लिए था और ना ही डीजल बेचना साबित हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध जांच दल की फर्द जांच का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया 205 लीटर डीजल व 5 लीटर पेट्रोल मय विभिन्न माप अप्रार्थी की दुकान से ही जब्त करना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि उक्त डीजल–पेट्रोल दुकान से ही जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र में जो कथन किये गये है वे After Thought व बिना किसी ठोस साक्ष्य के होने के कारण मानने योग्य नहीं है। अप्रार्थी से जांच के समय जिला रसद अधिकारी, हनुमागढ़ द्वारा टोंटी लगी प्लास्टिक कैनी, लोहे के 5 माप व 1 हस्तचालित पम्प भी जब्त किये गये हैं। एक और तो वाणिज्यिक परिसर से जब्ती दूसरा माप आदि रखना आदि तथ्य सिद्ध करते है कि अप्रार्थी डीजल का उपयोग स्वयं के अन्य वाहनों हेतु नहीं करता, इसके अलावा अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वक्त निरीक्षण डीजल एवं पेट्रोल जब्ती, कोई बिल लाईसेंस व परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा ना ही अब कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य आदि पेश हुए हैं जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी (स्टेट) का स्वीकार किया जाता है। 205 लीटर डीजल मय 2 प्लास्टिक ड्रम, 4 प्लास्टिक कैनी, 5 लीटर पेट्रोल, मय टोंटी लगी प्लास्टिक कैनी, 5 लोहे के 1 विभिन्न माप, 1 लोहे की कीप, 1 प्लास्टिक कीप और 1 हस्तचलित पम्प को न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 23.03.2022 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़